न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 26/2016 निर्णय दिनांकः– 26-8-25
(जीसीएमएस संख्या 2016/00398)

1. अल्लादित्ता (मृतक)
1/1 मु. बम्बो पुत्री स्व. श्री अल्लादित्ता जाति मुसलमान निवासी राणीसर तहसील पूगल जिला बीकानेर।
1/2 गफूर पुत्र श्री रखू खां जाति मुसलमान निवासी राणीसर तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 31–05–2024
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः
1. श्री धीरेन्द्र भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के निर्णय व डिक्री दिनांक 02–03–2016 जिसके द्वारा अपीलांट्स का दावा गैर कानूनी तरीकि से खारिज किया गया। के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटान ने एक घोषणात्मक वाद इस अमर का पेश किया कि अपीलांटान के दादा जलालखां पुत्र श्री बोडेखां के नाम से सम्वत् 2012 से 2030 तक पूगल तहसील के ग्राम राणीसर के ख.न. 214/143 में 75 बीघा भूमि बतौर आवी गैर खातेदारी तमाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा पूर्व में अपीलांटान के पूर्वज जलालखां का उनकी मृत्यु के बाद अपीलांटान का उक्त भूमि पर बदश्तुर कब्जा काश्त चला आ रहा है। मौके पर पुरानी ढाणी व पानी का कुण्ड बना हुई है। पानी की पर्ची बनी हुई है। अपीलांटान की उक्त भूमि पर चक प्लान आने पर वर्तमान में चक 8 पीकेडी के मु.नं. 24/30 में 25 बीघा, मु.न. 24/29 में 25 बीघा एवं मु.नं. 24/21 में 25 बीघा इस प्रकार कुल 75 बीघा भूमि कमाण्ड/अ.क. में फीट हुई जिस पर अपीलांटान काबिज है। रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है ना ही कभी रहा है केवल मात्र तंग व परेशान करके भूमि हडपने की नीयत से वाद दायर कर रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी करवा ली है।

अभिभाषक अपीलांटन आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में दौराने वाद एक वादी अल्लादित्ता की मृत्यु दि. 6.10.06 को हो गई थी जिसकी अपीलांटा बम्बो एकमात्र जायज वारिस है। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय में प्रा. पत्र भी प्रस्तुत कर दिया था मगर फिर भी मृत व्यक्ति के खिलाफ आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। अपीलाटान की तरफ से साक्ष्य पेश की गई थी मगर फिर भी जैर अपील आदेश पारित कर कानूनी भुल कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन का जो आधार लिया है वह गलत है। राजस्व रिकॉर्ड में अंकन का काम राजस्व कर्मचारियों का है ना ही अपीलांटान के पूर्वजो का था जो अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति थे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–03–2016 निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2016 के अनुसार वादग्रस्त भूमि जलाल खां पुत्र बोडेखा जाति मुसलमान को 1 साला आवंटन संवत 2015 को किये जाने का अंकन है। परन्तु संवत् 2018 से 2019 की खसरा गिरदावरी संवत 2020 से 2021 की खसरा गिरदावरी संवत 2022 से 2025 की खसरा गिरदावरी प्रमाणित प्रति से यह प्रकट होता है कि उक्त भूमि अराजीराज दर्ज है। अपीलांट के पूर्वज वादग्रस्त भूमि के गैर खातेदार के रूप में काबिज थे तथा वर्तमान में अपीलांट काबिज है। अपीलांट अराजीराज भूमि में अपना अधिकार स्थापित नही कर सकते है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद अन्तर्गत धार 88, 89 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया। इस दावा में अपीलांट ने एडवर्स पजेशन के आधार पर सरकारी भूमि में खातेदारी अधिकार की घोषणा का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शों/दस्तावेजों पर विस्तृत विवेचना करते हुए वाद वादी खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश हुई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत समस्त प्रदर्शों/दस्तावेजो का परीक्षण करते हुए सकारण व तार्किक विवेचन कर वाद वादी खारिज किया है।

अपीलांट/वादी द्वारा प्रतिकुल कब्जा के आधार पर सरकारी भूमि पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रतिकुल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा नही की जा सकती है। इस सुरत में वाद वादी दायर करने योग्य ही नही था। साथ ही अपीलांट सरकारी भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है तो उसके विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल का आदेश दिनांक 02–03–2016 यथावत् बहाल रखा जाता है। निर्णय की प्रति जिला कलक्टर, बीकानेर, उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार पूगल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

7. निर्णय आज दिनांक 26-8-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर